



अंतिम पत्रादली किया गया प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव का जारी डिक्री एवं रेकार्ड आफ राईट्स का मिलान किया गया जो सही प्रतीत होने से विभाजन प्रस्ताव स्वीकार किया जाना न्यायोचित माना है।


## आदेश

उक्त देवरिया तहसील रायपुर जिला भीलवाडा के बैरुन हल्का आबादी में स्थित खाता संख्या 1266/3 के देवरिया के खाते की भूमि के विभाजन की अंतिम डिक्री निम्नानुसार दी जाती है-

क्र.सं.	खुशको के नाम	खसरा नम्बर	क्षेत्रफल(है०)
1	अर्जुनलाल पिता बालुराम तेली सा० देह खातेदार	1266/3	0.05
		किता 1	0.05
2	शिवलाल माधुलाल पिता बालुराम मगनी बेवा बालुराम नारायण अम्बालाल पिता गिरधारी जांगिड ब्राह्मण सा० देवरिया खातेदार	1266/1	0.1750
		किता 1	0.1750
3	गोपीलाल सोहनलाल मीठालाल लक्ष्मण पिता नाथू जमनी बेवा नाथू जांगिड ब्राह्मण सा० देवरिया खातेदार	1266/2	0.1750
		किता 1	0.1750
4	जीतू सुखा पिता रूपा जांगिड ब्राह्मण सा० देवरिया खातेदार	1266/5	0.1050
		किता 1	0.1050
5	अर्जुनलाल पिता बालुराम 1/3 तेली सा० देह जीतू सुखा पिता रूपा 2/3 जांगिड ब्राह्मण सा० देवरिया खातेदार	1266/4	0.0150
		किता 1	0.0150
6	शामलाती खाता बदस्तुर जमाबन्दी	1265	0.02 गेमु आचा
		किता 1	0.02

अंतिम डिक्री अनुसार भूमि दर्ज रेकार्ड किये जाने का आदेश दिया जाता है। तदनुसार अंतिम डिक्री जारी हो। खर्चा फरीकेन अपना अपना वहन करें।

यह आज तारीख 9.05.2018 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मोहर से जारी की गई।

  
राजलक्ष्मी गहलोत  
सहायक कलक्टर(उपखण्ड अधिकारी)  
रायपुर जिला भीलवाडा